

कार्यक्रम निदेशालय

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, उत्तराखण्ड

कपूर टॉवर, चतुर्थतल, गॉधीपार्क के सामने, देहरादून।
द्वारा:- 0135-2685634 ई-मेलआईडी:-cooperativeprojects.uk@gmail.com,

-: नियुक्ति / विज्ञप्ति:-

पत्रांक 331 / कार्यो निरो / राज्य संसद संविधान सभा परियोजना पत्रांक 2022-23 दिनांक 26 सितम्बर, 2022

कार्यक्रम निदेशालय, राज्य समेकित सहकारिता विकास परियोजना, देहरादून के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के 15 संविदा आधारित पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति की जानी है। उक्त में दो पद निदेशालय स्तर तथा शेष 13 पद जनपद स्तर के लिए हैं। सभी पद संविदा आधारित हैं तथा प्रारम्भिक रूप में 11 माह हेतु संविदा की जायेगी। शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु, चयन प्रक्रिया एवं आवेदन पत्र के प्रारूप से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाइट <https://cooperative.uk.gov.in> पर उपलब्ध हैं एवं डाउनलोड किये जा सकते हैं।

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर ही मान्य होगा। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से ही प्रेषित किये जायेंगे। व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। समस्त शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि के प्रमाणपत्रों की छाया प्रतियां स्व-प्रमाणित कर संलग्न किये जायेंगे। अपूर्ण प्रार्थना पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं होगें तथा निरस्त समझे जायेंगे। कार्यक्रम निदेशालय का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल देहरादून होगा।

आवेदन पत्र निम्न पते पर प्रेषित किये जायेंगे—

मुख्य कार्यक्रम निदेशक, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना उत्तराखण्ड, कपूर टॉवर, चतुर्थ तल, गॉधी पार्क के सामने, राजपुर रोड, देहरादून, पिन-248001

(डॉ बी०वी०आर०सी० पुरुषोत्तम)
मुख्य कार्यक्रमनिदेशक

उत्तराखण्ड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना

उत्तराखण्ड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 14 फरवरी 2019 को किया गया। परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) द्वारा प्रदत्त ऋण एवं कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारिता परियोजना (CSISAC) घटक-1 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में संचालित की जा रही है। परियोजना का संचालन कार्यक्रम निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। सहकारिता विभाग इस परियोजना का नोडल विभाग है, जिसके अन्तर्गत भेड़—बकरी, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग संबंधित हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना संचालन हेतु 3,340 करोड़ की धनराशि ऋण/अनुदान स्वीकृत की गई है। इसमें से लगभग 2546 करोड़ ऋण तथा बाकी हिस्सा अनुदान का है। इस अनुदान का वहन कृषि मंत्रालय द्वारा वहन किया जायेगा। परियोजना का वित्तीय स्वरूप धनराशि में 70:20:10 के अनुपात में ऋण, अनुदान, एम.पैक्स का योगदान है। आगामी 8 सालों में ऋण राशि की अदायगी की जानी भी तय की गई है। परियोजना में पैक्स समितियों के माध्यम से किसानों तक पहुंच बनाना सुनिश्चित किया गया है। परियोजना राशि को सहकारिता के 4 सैकटरों कृषि सहकारिता, डेरी विकास, मत्स्य पालन व भेड़ बकरी पालन क्षेत्र में खर्च होना है। इस ऋण अदायगी की गारंटी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ली गई है।

उत्तराखण्ड की सहकारी समितियां बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति—एम.पैक्स के नाम से पंजीकृत हैं। यह गांव स्तर पर चलने वाले बहुत सी कानूनी व्यवासायिक गतिविधियों की धुरी हैं। इन समितियों में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर किसानों के हित में उल्लेखनीय योगदान देने की प्रबल संभावना छिपी है। यहां की खेती की विषम परिस्थितियों को देखते हुए ही संयुक्त सहकारी खेती के माध्यम से वृहद स्तर पर उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं तैयार उत्पादों को लाभकारी मूल्य पर बाजार में उतारना उत्तराखण्ड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य है। परियोजना में राज्य की 670 एम.पैक्स का सुदृढ़ीकरण करते हुए किसानों की छोटी-छोटी जोतों का सहकारी सामूहिक खेती हेतु प्रयोग करते हुए उस पर आधुनिक तकनीकी के द्वारा क्षेत्र विशेष हेतु निर्धारित कृषि उत्पाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है। परियोजना में प्राथमिक स्तर पर इन सहकारी समितियों को 'ग्रामीण आर्थिक विकास केन्द्र' के तौर पर विकसित कर उनका डिजिटाईजेशन एवं 48 मार्किंग सोसाईटीज को सुदृढ़ करते हुए मूल्य श्रृंखला, भंडारण, शीत भंडारण तथा खेतों से बाजार तक कृषि उत्पादों की पहुंच बनाना शामिल किया गया है। सहकारी समितियों के विविध व्यवसाय यथा कृषि, बागवानी, जड़ी बूटी, सगंध पौध, होम स्टे व ई मंडी (इलेक्ट्रोनिक मंडी) आदि का सम्यक विकास परियोजना का लक्ष्य है। सहकारिता क्षेत्र की दशा और दिशा सुधारने वाली देश की यह अपनी तरह की एक विशिष्ट परियोजना है। इसके तहत प्रदेश के लगभग 6 लाख सीमांत व लघु किसानों को कृषि, उद्यान, सगंध, एवं अन्य गैर कृषि गतिविधियों के माध्यम से लाभ पहुंचाना प्रस्तावित है। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड की ओर बढ़ने के लिए एक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा।

एम.पैक्स में छिपी इन संभावनाओं का दोहन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दूरगामी उद्देश्य और भारत सरकार के 'संकल्प से सिद्धि'—सहकारिता से समृद्धि एवं 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के आहवान पर उत्तराखण्ड राज्य के सर्वांगीण विकास, गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन की रोकथाम, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं सामान्य, सीमांत, लघु किसानों के जीवन स्तर में सुधार जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को दृष्टिगत रखकर ही उत्तराखण्ड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना की परिकल्पना की गई है। परियोजना की स्थापना उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के समग्र एवं सर्वांगीण विकास हेतु की गई है। उत्तराखण्ड राज्य दुर्गम पर्वतीय एवं पलायन से ग्रसित क्षेत्र होने के कारण राज्य को की दृष्टि से मजबूत

करना परियोजना का खास मकसद है। UKCDP सहकारिता विभाग सहकारी संस्थाओं के सहयोग हेतु नोडल एजेंसी की भूमिका निभाएगी। परियोजना राज्य की समस्त सहकारी संस्थाओं को उनके द्वारा ही तैयार बिजनेस मॉडल के अनुरूप आवश्यकतानुसार वित्तीय ऋण/अनुदान उपलब्ध करा रही है। उत्तराखण्ड राज्य के लिए तैयार की गई इस महत्वाकांक्षी योजना में कलस्टर आधारित खेती एवं सहवर्ती उत्पादन को बढ़ाने तथा उत्पादों के प्रसंस्करण, भंडारण एवं विपणन की ठोस व्यवस्था की जा रही है। किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलवाना परियोजना की शीर्ष प्राथमिकता है। परियोजना कृषि सहकारी संस्थाओं तथा दुग्ध विकास, भेड़ बकरी पालन एवं मत्स्य पालन के सहकारी क्षेत्रों पर केन्द्रित की गई है।

परियोजना उद्देश्य

- परियोजना के अन्तर्गत चार घटकों— सहकारिता, डेरी विकास, भेड़ बकरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों की सहकारी समितियों/एम. पैक्स के माध्यम से उनके समग्र आर्थिक विकास की परिकल्पना कर किसानों/उत्पादकों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है।
- सहकारी समितियों को ग्रामीण आर्थिक विकास केंद्र के तौर पर विकसित करना, किसानों की आवश्यकतानुसार उनके क्षेत्रों में ढांचागत विकास, भंडारण गृह आदि का निर्माण परियोजना का लक्ष्य है। एम.पैक्स के माध्यम से सामूहिक सहकारी खेती को बढ़ावा देकर किसानों का क्षमता निर्माण करना।
- बंजर हो रही भूमि को सम्मिलित करते हुए कलस्टर आधारित सामूहिक सहकारी खेती को प्रोत्साहित करना। किसानों के उत्पादों का संग्रहण एवं भंडारण कर किसानों के उत्पादों हेतु बाजार उपलब्ध करवाकर उचित मूल्य दिलवाते हुए बाजार का विस्तार।
- एम. पैक्स के माध्यम से गांवों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके पैदा करना।
- गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकना।
- प्रदेश में ई—मार्केट कोऑपरेटिव प्लेटफार्म का विकास करना, होम स्टे को बढ़ावा देकर राज्य का संतुलित विकास करना।

परियोजना लक्ष्य

- कृषकों की आय को दोगुना करना।
- किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाना।
- राज्य का संतुलित, सर्वांगीण एवं समग्र विकास करना।
- एम. पैक्स को एक टिकाऊ व्यवसायिक इकाई के तौर पर स्थापित करना।

परियोजना के मुख्य हितधारक

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.)
- कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार (CSISAC)
- उत्तराखण्ड सरकार
- उत्तराखण्ड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना (CSISAC) – परियोजना क्रियान्वयन
- परियोजना के अन्तर्गत सहकारिता घटक के प्रमुख हितधारक
 - ✓ 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियां (एम.पैक्स)– इनके माध्यम से कलस्टर आधारित कृषि एवं सहवर्ती उत्पाद में वृद्धि, सामूहिक खेती, प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन व मार्केटिंग आदि का कार्य प्रस्तावित है।
 - ✓ 48 मार्केटिंग सोसाईटीज
इसके अन्तर्गत ई—मार्केटिंग प्लेटफार्म विकसित कर डिजिटल मार्केटिंग से उत्पादों को जोड़ा जाना है। हर जिले में तहसील स्तर पर 1 मार्केटिंग सोसाईटीज की स्थापना का प्रावधान है।

✓ उत्तराखण्ड कोऑपरेटिव फेडरेशन – UCF

यह क्रय-विक्रय समितियों द्वारा विपणन कार्य में सहयोग हेतु गठित एक शीर्ष संगठन है। यह एक स्वायत्त संगठन है। इसका कार्य दालों, अनाज, मोटे अनाज का विपणन करना है। अभी तक UCF सहित परियोजना में विभिन्न उत्पादों हेतु 3 गठित हुई हैं।

- सायलेज (हरे मक्के की खेती) उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड
- सेब उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ


परियोजना के संभावित परिणाम

- किसानों हेतु अतिरिक्त आय के मौके पैदा कर रोजगार के मौकों को बढ़ाना
- गांवों में ही कृषि संबंधी ढांचागत सुविधाओं का विकास कर सहकारी सामूहिक खेती का विविधीकरण कर पलायन रोकना।
- सहकारिता स्तर पर उद्यमों का विकास
- मजबूत एम०पैक्सों का व्यासायिक इकाईयों के तौर पर विकास
- एम०पैक्स स्तर पर प्रतिभावान नेतृत्व का उभरना

परियोजना का ढांचा

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारिता परियोजना के अन्तर्गत राज्य हेतु स्वीकृत परियोजना के संचालन, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण हेतु कार्यक्रम निदेशालय का गठन किया गया है। परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु राज्य से गांव स्तर तक एक सुव्यवस्थित ढांचे की व्यवस्था परियोजना में की गई है। परियोजना संचालन हेतु मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में तीन महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया है—

- S.L.P.C.- इसे राज्य स्तरीय मार्गदर्शक समिति कहा जाता है। परियोजना में शामिल सभी घटकों के माननीय मंत्री इसके सदस्य हैं। यह परियोजना की सर्वोच्च कमेटी है। इसकी जिम्मेदारी बिजनेस प्लान को पारित करना है।
- S.L.S.S.C.- मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव/सचिव सहकारिता विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नियोजन समिति के सभी घटकों के विभागाध्यक्ष इसके सदस्य हैं। इसका कार्य राज्य स्तरीय नियोजन समिति द्वारा द्वारा तैयार योजना रिपोर्ट का अनुमोदन और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना है।
- S.L.P.C.- प्रमुख सचिव/सचिव सहकारिता विभाग की अध्यक्षता में गठित इस राज्य स्तरीय नियोजन समिति में सभी घटकों के विभागाध्यक्ष इसके सदस्य हैं। इसका कार्य क्षेत्रवार संस्थाओं व विभागों द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का परीक्षण कर स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं अनुमोदन समिति के पास भेजना है।
- परियोजना संचालन हेतु स्थापित कार्यक्रम निदेशालय का ढांचा निम्नवत है—



कार्यक्रम निदेशालय के तहत प्रत्येक घटक के परियोजना निदेशक के कार्यालय का अलग से ढांचा तय है।

परियोजना की गतिविधियों का विवरण

2019 में शुरुआत के बाद से परियोजना में सहकारिता क्षेत्र में अभी तक हुए मुख्य हस्तक्षेपों का सार निम्नानुसार हैं—

- सामूहिक सहकारी खेती
- ढांचागत विकास
- कोऑपरेटिव-कारपोरेट सामूहिक सहकारी खेती
- कोऑपरेटिव-कोऑपरेटिव पार्टनरशिप
- ई-मार्केट कोऑपरेटिव प्लेटफार्म E-MCP/ बिक्री केन्द्र
- साईलेज (मक्का का हरा चारा उत्पादन) /टी.एम.आर. (टोटल मिक्सड राशन)
- मशरूम उत्पादन
- डमस्क रोज उत्पादन
- कृषि उन्नयन परियोजना
- मुर्गीपालन परियोजना
- 2 से 5 एवं 50 कैटल आधारित डेयरी फार्म यूनिटों की स्थापना
- डेयरी उत्पादों में दुग्ध का Buyback में मूल्य संबन्ध कर विभिन्न उत्पादों को आँचल ब्रांड से प्रचालित किया जा रहा है।
- ट्रॉउट फार्मिंग कलस्टरों का चयन कर हिमालयन ट्रॉउट उत्पादन कलस्टरों की स्थापना जिसके फलस्वरूप 38.10 मीट्रिक टन ट्रॉउट मछली उत्पादन किया गया है।
- ग्राम सामुदायिक तालाब का जीर्णोद्धार के माध्यम से कार्य एवं पंगास मछली 35.50 मीट्रिक टन उत्पादन।
- डक हैचरी की स्थापना।
- “उत्तरा फिश” ब्राण्ड का निर्माण कर फ्रन्चाइजी एवं स्वंय के विक्रय केन्द्रों के माध्यम से उत्पादन एवं विपणन है।
- प्राथमिक भेड़-बकरी समितियों का गठन किया जा गया है जिसके अन्तर्गत 10853 सदस्यों को सम्मिलित किया गया है।
- समितियों में से 29 समितियों के 1243 सदस्य परियोजना के सहयोग से बकरी पालन/विपणन व्यवस्था से जोड़ा जा चुका है।
- परियोजना अन्तर्गत भेड़-बकरी पालकों से सीधे Buy back कर फेडरेशन **BAKRAW ब्राण्ड** से उत्पादों का विपणन

उपरोक्त कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम निदेशालय राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के सभी क्षेत्रकों में गतिमान वर्तमान एवं भावी गतिविधियों के निष्पादन हेतु कार्यक्रम निदेशालय के अन्तर्गत नवगठित परियोजना प्रबन्धन इकाई (PMU) के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन के सभी जनपदों में जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रबन्धकों की संविदा स्तर पर निम्नानुसार नियुक्ति की जानी प्रस्तावित है। उक्त

प्रस्तावित पदों का मासिक वेतन राज्य सरकार द्वारा निदेशालय को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली कार्य संचालन की धनराशि से वहन किया जाएगा।

क्र0 सं0	पदों की संख्या	पदनाम	प्रकार	अवधि	प्रस्तावित वेतनमान रु0
01.	15	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (DPM)	संविदा के आधार पर	11 माह हेतु (कार्य अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ाया / घटाया जा सकता है)	योग्यतानुसार रु0 40000—50,000 (प्रतिमाह)

पदनाम :

जिला परियोजना प्रबन्धक

कार्य—क्षेत्र :

जिला स्तर पर जिला सहायक निबन्धक कार्यालय

रिपोर्टिंग लाइन:

1. जिला स्तर पर जिला सहायक निबन्धक (सम्बन्धित जिला)

2. परियोजना स्तर पर मुख्य कार्यक्रम प्रबन्धक,
कार्यक्रम निदेशालय (रा०स०स०वि०परि)।

● अनिवार्य अर्हता:-

समुदाय, सहकारी समिति, सहकारिता आधारित संगठनों के लिए परियोजना गतिविधियों/सेवाओं की पहुंच लक्षित लाभार्थी चयन, संभावित आय सजृक गतिविधियों की पहचान करना, सूक्ष्म कार्य योजना विकास, व्यापार विकास योजना निर्माण, तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, जिला स्तरीय समस्त विभागों से समन्वय स्थापित कर अभिसरण (Convergence) एवं गतिविधियों को सम्बन्धित परियोजना सहभागियों के मध्य कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रबन्धन कार्य करना ताकि परियोजना आजीविका वृद्धि के संदर्भ में अपने लक्षित परिणामों को प्राप्त कर सके।

● आवश्यक योग्यता और अनुभव :

➤ शैक्षिक योग्यता :

- कृषि अथवा वाणिज्य अथवा विज्ञान में स्नातक की उपाधि अनिवार्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से

➤ कम्प्यूटर ज्ञान :

- MS Office विशेष रूप से MS Word, Excel, Power Point, MS Team/Project etc. में हिन्दी तथा अंग्रेजी में दक्षता।

➤ कार्य क्षेत्र का अनुभव:-

- पर्वतीय क्षेत्रों में समुदाय आधारित संस्थानों के साथ काम करने का न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
- समुदाय आधारित संस्थानों के साथ ग्रामीण आजीविका संवर्द्धन क्रियाकलापों के विकास एवं परियोजना क्रियान्वयन में अनुभव।

● व्यवहारिक कौशल:-

- सामुदायिक संस्थानों के लिए क्षमता निर्माण, कौशल विकास, योजना बनाने और उनके सफल क्रियान्वयन कराये जाने की क्षमता के साथ—साथ समय—समय पर सम्बन्धित सहभागियों को प्रगति आख्या उपलब्ध कराना।
- लिखित और मौखिक वार्ता में कौशल।

- न्यूनतम पर्यवेक्षण के साथ काम करने, टीम निर्माण, नेतृत्व क्षमता, मृदुभाषी और ग्रामीण समुदाय के विकास के प्रति कार्य प्रतिबद्धता।
- **कार्य एवं मुख्य दायित्वः—**
 - परियोजना के सभी चारों क्षेत्रको के अन्तर्गत कृषि एवं गैर कृषि व्यवसाय रणनीति का विकास, समीक्षा, अद्यतन और निगरानी करना और परियोजना कर्मचारियों, परियोजना सहयोगी एजेंसियों, सम्बन्धित सहभागियों, सरकारी और निजी एजेंसियों के साथ सहयोग करना।
 - कृषि, गैर कृषि गतिविधियों में उत्पादन और उत्पादन उपरान्त कटाई की प्रौद्योगिकियों की पहचान करनें जिसमें व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य कृषि व्यवसाय मूल्य श्रृंखलाओं को डिजाइन करने के लिए लाभदायक मूल्य-श्रृंखला स्थापित की जा सकती है।
 - डेयरी, मत्स्य, उत्तराखण्ड पशुधन विकास बोर्ड संबंधी चयनित मूल्य श्रृंखलाओं की व्यावसायिक योजनाओं गतिविधियों पर सम्बन्धित सहभागियों और जिला स्तरीय सम्बन्धित विभागों के साथ सहयोग करना।
 - कृषि, गैर कृषि मूल्य श्रृंखला उत्पादों और उद्यमों को स्थानीय स्तर के व्यापार मेलों, उत्पाद प्रचार कार्यक्रमों आदि के माध्यम से बाजार पहुंच और अन्य हितधारकों के समन्वय से स्थानीय और क्षेत्रीय बाजारों से जोड़ना।
 - विश्लेषण के लिए प्रासंगिक और उपयोगी डेटा कैचर करने के लिए समझने में आसान प्रारूप विकसित और कार्यान्वित करना।
 - परियोजना द्वारा स्थापित Monitoring & Evaluation के अन्तर्गत MIS में डेटा सम्बन्धित सहकारी समितियों से भरवाना तथा परियोजना को ससमय उपलब्ध करवाना।
 - सहभागी संस्थानों/परियोजना सहभागियों के साथ संवाद के लिए आवश्यक पहलुओं पर जिला सहायक निबन्धक को जिला स्तर पर एवं कार्यक्रम प्रबंधक और परियोजना निदेशक को पेशेवर सहायता प्रदान करना।
- **अन्य दायित्वः—**
 - व्यापार योजना तैयार करने, इच्छुक व्यापार भागीदारों के साथ बातचीत और संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय के लिए सहकारी समितियों और कर्मचारियों का सहयोग करने के लिए नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करना।
 - टेलीफोन कॉल, एसएमएस, ई-मेल कार्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित अन्य संचार के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
 - क्षमता निर्माण की जरूरतों और करियर के विकास के पहलुओं को संबोधित करने के लिए मानव संसाधन द्वारा किए गए स्टाफ स्व-मूल्यांकन अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लेना।

तदनुसार चयन ऑनलाइन/ऑफलाइन साक्षात्कार के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए साक्षात्कार समिति का गठन कार्यक्रम निदेशालय स्तर पर निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है—

1. मुख्य कार्यक्रम निदेशक,	अध्यक्ष
2. अपर मुख्य कार्यक्रम निदेशक	सदस्य
3. नोडल अधिकारी/परियोजना निदेशक सहकारिता	सदस्य
4. परियोजना निदेशक डेरी	सदस्य
5. परियोजना निदेशक मत्स्य	सदस्य
6. परियोजना निदेशक भेड़—बकरी	सदस्य
7. वित्त नियन्त्रक	सदस्य

8. कार्यक्रम प्रबन्धक

संयोजक सदस्य

साक्षात्कार से पूर्व समस्त आवेदकों की शैक्षिक योग्यता एवं अनिवार्य अनुभव अर्हता आदि से सम्बन्धित अभिलेखों का सत्यापन कर सूचीबद्ध किए जाने की प्रक्रिया संयोजक सदस्य द्वारा संपादित की जाएगी।

- **चयन प्रक्रिया :-**

उपरोक्त प्रस्तावित पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन राज्य स्तरीय दो समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित अथवा परियोजना द्वारा चयनित ऑउटर्सोस वाह्य ऐजेंसी के माध्यम से नियुक्त हेतु किया जाना प्रस्तावित है। विज्ञापन का प्रकाशन राज्य के दोनों मंडलों (गढ़वाल एवं कुमाऊँ) एवं प्रत्येक जिले में होगा एवं विभाग की बेवसाइड पर भी अपलोड कर प्रकाशित किया जाएगा।

उक्त पदों के सापेक्ष इच्छुक अभ्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया निम्न मानकों के आधार पर की जानी प्रस्तावित है:-

- **मूल्यांकन मानदण्ड:-**

मानक	स्कोर / अंक
शैक्षिक योग्यता	90
साक्षात्कार	10

- **शैक्षिक :-**

योग्यता	प्रतिशत (%)	अंक	अधिकतम अंक
10 th	61-70	1-5*	20
	71-80	5-10*	
	81-90	10-15*	
	91-100	15-20*	
12 th	61-70	1-5*	20
	71-80	5-10*	
	81-90	10-15*	
	91-100	15-20*	
स्नातक	51-60	1-5*	25
	61-70	5-10*	
	71-80	10-15*	
	81-90	15-20*	
	91-100	1-5*	
विषय विशेषज्ञता	कृषि/उद्यानिकीकरण	25	25
	मार्किटिंग, सप्लाई चेन प्रबन्धन	25	
	ग्राम्य विकास	25	
	अन्य	10	
	कुल		90

Note:

* Decimal should be rounded off to the nearest digit/whole no.

* With increase in every one percent, additional **0.5 marks** would be allotted.

*Candidate scoring the **highest composite score (academic + interview)** would be offered the opportunity.

- आवेदन प्रक्रिया:-

उक्त पदों से सम्बन्धित आवेदन पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) समस्त शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों संलग्न करते हुए सीलबन्ध लिफापे में पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निम्न पते पर दिनांक 15 अक्टूबर 2022 को सांय 5:00 बजे तक प्राप्त किये जायेगें। लिफाफे के ऊपर “जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक जनपद का नाम..... हेतु आवेदन” लिखा होना अनिवार्य है। अपूर्ण आवेदन किन्हीं भी परिस्थितियों में स्वीकार्य नहीं होंगें।

साक्षात्कार चयन के उपरान्त भी यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में सूचनाएं गलत पाए जाने तथा प्रमाण पत्रों के असत्य होने की दशा में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी तथा विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

संक्षिप्त सूची (Short listed) के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसकी तिथि की सूचना पृथक से दी जायेगी।

आवेदन हेतु पता:- मुख्य कार्यक्रम निदेशक,

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, निदेशालय
चतुर्थ तल, कपूर टॉवर, राजपुर रोड़,
देहरादून 248001 उत्तराखण्ड।

संलग्न :-प्रारूप अनुसार।

Application Form

Application for the Post:.....

1. Name:

2. Mother's Name:

3. Father's Name:

4. Date of Birth:
.....(DD/MM/YY)

Self-Attested Photo of
the Applicant

5. Postal /Permanent Address:

Village:

Post Office:.....

Block:

District:.....

State:

PIN:.....

Contact No.....

Email:.....

6. Nationality: 7. Language Known:

8. Educational/Academic Qualification:

SN.	Qualification	Institution/Board/ University	Specialization	Passing Year	Percentage/Grade

*Enclose certificate'sSelf Attested photo copies

9. Work Experience:

SN.	Institution/ Employer's Name	Post /Designation	Duration	Posting place	Key Responsibility

*Enclose experience certificate's Self Attested photo copies

10. Key Achievements during working with these institutions (if any):

SN.	Institution/ Employer's Name	Type of Assignments	Key Achievements

11. Training, Workshop & Conference (Participated, Conducted/Organised etc.)

SN.	Subject of Training/Workshop/Conference/Study /Survey	Institution's Name	Duration	Place

*Enclose certificate's photo copy with self-attested copies (if any)

12. References:

SN	Name	Designation	Contact Nos. & email ID	Organisation
1.				
2.				
3.				

14. Your understanding about the Uttarakhand Cooperative Development Project (UKCDP)

Declaration:

I..... S/D/W of Shri/Mrs..... hereby, declare that the information furnished above is correct and to the best of my knowledge. I own the responsibility of the consequences in case of any discrepancies found in the information.

Name of the Applicant:**Date:****Place:**